फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– भेरूलाल परमार
विपक्षी :–**राज्य**
किस्म मुकदमा :– 131, 133 एल.आर.एक्ट
पत्रावली संख्या :–**240/25 विविध**
जीसीएमएस नम्बर :–**2025/737**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विकरणी के बिलानाम आराजी नम्बर 112 में से 04 बीघा (0.6475 हैक्ट) भूमि श्री लालूराम पिता उदयलाल ब्राम्हण निवासी विकरणी को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश दिनांक 29.04.1983 से आवंटित हुई। जो नामान्तरण संख्या 141 से आवंटी के नाम गैरखातेदारी हक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। जिसके बढ़ते नवीन खसरा नम्बर 1482/112 रकबा 0.6475 हैक्टेयर दर्ज हुये। वर्तमान में लालूराम पिता उदयलाल ब्राम्हण की आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1482/112 रकबा 0.6475 हैक्टेयर विक्रय से प्रार्थी श्री भैरूलाल पिता श्यामलाल परमार जाति माली निवासी मकान नम्बर 27 जगदम्बा आश्रम के पास न्यू भूपालपुरा उदयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। क्रेता द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम विकरणी के नामान्तरण संख्या 141 पर नक्शा बना हुआ है। नक्शा लट्ठा शीट में तरमीम नहीं है। भू नक्शा एवं बटर शीट में खसरा नम्बर 1482/112 रकबा 0.8475 हैक्टेयर की वर्तमान तरमीम अनुसार मौके के आंशिक पश्चिमी भाग पर पक्की सड़क बनी है जो विकरणी से खाम की मादड़ी की ओर जाती है और पश्चिमी आंशिक भाग पर ही राजू, श्यामलाल पिता दोला, गोपा पिता डालू भील के मकान की चारदिवारी एवं पड़त भूमि है। वर्तमान तरमीमशुदा भाग जिसमें पश्चिमी आंशिक भाग में मौके पर पक्की सड़क एवं मकानों की बाउण्ड्रीवाल में पड़त भूमि पर आवंटी/प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आंवटन से लेकर अब तक आंवटी/प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 1482/112 के पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग आधे भाग (0.3000 हेक्ट) पर तथा वर्तमान तरमीम शुदा भाग के उत्तरी पूर्वी ओर मूल खसरा नम्बर 112 बिलानाम भूमि पर 0.3475 हैक्टेयर पर रहा है। मौके पर पत्थर के खम्भे लगे होकर तारबन्दी की हुई है। वर्तमान कब्जे अनुसार प्रार्थी द्वारा नक्शे में तरमीम	

शुद्धि चाही गई है। वर्तमान नक्शे में तरमीम तथा प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार चाही गई तरमीम लाल स्याही से दर्शाते हुए नक्शा ड्रेस सलंग्न है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 487 पर दर्ज आराजी नम्बर 1482/12 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि मूल आराजी नम्बर 112 में से 04 बीघा (0.6475 हैक्ट) भूमि श्री लालूराम पिता उदयलाल ब्राम्हण निवासी विकरणी को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश दिनांक 29.04.1983 से आवंटित हुई।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि बिलानाम भूमि में वादग्रस्त भूमि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा आवंटित की गई। आंवटी को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया। आवंटी मौके पर उसी अनुसार खेती काश्त करता रहा। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण पारित आवंटी नाम दर्ज कर दी गई। परन्तु उक्त भूमि की नक्शे में तरमीम नही की गई। आवंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रार्थी को कर दिया गया और जहां आवंटी काबिज था वहां कब्जा विक्रेता को सिपुर्द कर दिया। केवल मात्र सेग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। जिसमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जाना था अर्थात साबिक जमाबंदी एवं साबिक नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन किया जाना था। साथ ही जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही साबिक नक्शे के आधार पर सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शा तैयार किया जाना था। साबिक नक्शे में उक्त आराजीयात की तरमीम नही थी। आवंटन के नक्शे के अनुसार तरमीम करनी चाहिए थी। यदि आवंटन के नक्शा भी नही था तो ऐसे में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर तरमीम करनी चाहिए थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक तरमीम की गई। जिसके कारण मौके पर प्रार्थी जिस जगह काबिज था उसी अनुसार नक्शे में तरमीम नही है। जहां तरमीम की गई वहां मौके पर सड़क निकली हुई है। ऐसे में मौके एवं नक्शे का मिलान नही हो रहा है। साथ ही तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि में

अंकित आराजी मूल आराजी नम्बर वही जिसमें आवंटी को भूमि आवंटन की गई थी। मौके अनुसार तरमीम नही करने से मौके पर विवाद बने रह रहते है। साथ ही न्यायालय का मानना है कि हाल नक्शे में गई तरमीम एवं प्रस्तावति तरमीम ज्यादा अंतर नही होकर केवल मात्र मौके अनुसार आकृति परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में मौके अनुसार तरमीम कर देने से पक्षकारो के मध्य विवाद नही रहेगा। अतः तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 487 पर दर्ज आराजी नम्बर 1482/12 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात की राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए यह सुनिश्चित करे की उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में हो। प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली